प्रेस नोट संख्या 53

दिनांक 27.10.2024

सराहनीय कार्य थाना संग्रामपुर/स्वाट एवं सर्विलांस टीम अमेठी

24 घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा, हत्या करने वाला अभियुक्त आलाकत्ल 01 अदद गहदाला (सब्बल) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 26.10.2024 को वादी श्री मनीष कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 जयराम प्रजापति निवासी टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा थाना संग्रामपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 25.10.2024 को प्रार्थी के पिता जयराम प्रजापति पुत्र स्व0 रामनरेश प्रजापति का शव टीकरमाफी कस्बा के समीप तलिया की बाग में मिला था। जिस संबन्ध में प्रार्थी के चाचा अरुण कुमार प्रजापति की तहरीर पर थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया था। मेरे पड़ोसी शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र शिवराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी मेरे पिता जी से नाराज रहते थे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता जी की हत्या मेरे पड़ोसी शिवशंकर द्वारा की गई है। उक्त सूचना पर थाना संग्रामपुर पर मु0अ0सं0 191/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम शिवशंकर विश्वकर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। **पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "एण्टीमॉर्टम इन्जरी" आने पर नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा टीमों का गठन कर आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे।**

उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 27.10.2024 को श्री ईश नारायण मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी मय हमराह कस्बा टीकरमाफी में मौजूद थे कि स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह मय हमराह मौके पर आ गये। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के धर पकड़ के बारे में बातचीत की जा रही थी कि तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी शिवशंकर विश्वकर्मा मिश्रौली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मिश्रौली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर हिकमतअमली से उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र शिवराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष बताया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि जयराम प्रजापति (मृतक) मेरे पड़ोसी थे जो मेरे परिवार की महिलाओं के प्रति बुरी नजर रखते थे, जिससे मै दुखी रहता था। दिनांक 25.10.2024 की दोपहर को समय करीब 02.00 बजे मै अपने खेत के किनारे बांस गाड़ने के लिए गहदाला (सब्बल) से गड्ढा खोद रहा था तभी जयराम प्रजापति तलिया की बाग में भैंस चरा रहे थे। उस समय वहां कोई नहीं था। सूनसान होने पर मौका पाकर मैने जयराम प्रजापति को पीछे से गहदाले से मारा तो वह जमीन पर गिर गये व बचने के लिए झाड़ियों में भागे तो मैने दोबारा उनके सिर पर गहदाले से मार दिया जिससे जयराम प्रजापति की मृत्यु हो गई जिसके उपरान्त मैने गहदाले को झाड़ियों में छिपा दिया व **पकड़े जाने से बचने के लिए बाहर आकर जोर जोर से शोर मचाया कि एक आदमी को जंगली जानवर जो भेड़ियानुमा था खींचकर झाड़ियों में ले गया।** तभी बकरी चरा रहे व गांव के कुछ अन्य लोग मौके पर आ गये जिन्हें मै इधर उधर घुमाने के उपरान्त जयराम प्रजापति के शव को झाड़ियों में दिखाया तो लोग उनके शव को बाहर लाये। अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के पास झाड़ियो से आलाकत्ल 01 अदद गहदाला (सब्बल) बरामद किया गया। **घटनाक्रम में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 बी0एन0एस0 की बढोत्तरी कर थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

गिरफ्तारी स्थान- मिश्रौली रेलवे स्टेशन के पास **दिनांक** 27.10.2024 **समय** करीब 12.22 बजे दिन में।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र शिवराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी-

- आलाकत्ल 01 अदद गहदाला (सब्बल)।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

- मु0अ0सं0 191/24 धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना संग्रामपुर-

1. श्री ईश नारायण मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 श्री इन्द्रेश कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. हे0का0 राजेश यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
4. का0 दीपचन्द्र यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
5. का0 विनय कुमार सिंह गौर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

स्वाट/सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी।
2. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम अमेठी।
3. का0 शिवराम स्वाट टीम अमेठी।
4. का0 मनीष स्वाट टीम अमेठी।
5. का0 सिकन्दर खान स्वाट टीम अमेठी।